

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/2088 /

जबलपुर, दिनांक 21 / मार्च, 2023

श्री पुहप सिंह उइके, जूनि.ज्यूडि.असि., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के अवकाश लेखे में अर्जित/चिकित्सीय अवकाश शेष नहीं होने के कारण उनके वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोके जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (विजी)महोदय के
आदेशानुसार



19/3/23
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2089 /

जबलपुर, दिनांक 21 / मार्च, 2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.), लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल/वेतनपत्रक), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
6. श्री पुहप सिंह उइके, जूनि.ज्यूडि.असि., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


19/3/23
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)